



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्रतिअकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]  
No. 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1984/माघ 1, 1905  
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1984/MAGHA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिभूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1984

का. आ. 36(अ).—राष्ट्रपति विधायक के अधीन (3) के  
(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-  
आवंट) नियम 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित  
नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन विधियों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंट) (एक वीं  
साठवां संशोधन) नियम, 1984 होगा।

(2) ये पृष्ठ पढ़ें :-

2. भारत सरकार (कार्य-आवंट) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में :-  
(क) "परिवरण विभाग" शीर्षक के अंतर्गत :-

(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी  
जाए अर्थात् :-

"1. पर्यावरण और परिसिखित विज्ञान विभागों के अधीन समूह,  
सर्वोच्च शासक शक्तियों का परिवरण शामिल  
है किंतु युवा शासक में समूह परिवरण शामिल  
नहीं है।";

(ii) प्रविष्टि 3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए  
अर्थात् :-

"9. जीवमंडल रजर्वे कार्यक्रम";

(ख) "विज्ञान विभाग" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 2 के  
पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए अर्थात् :-

"3क. युवा शासक में समूह परिवरण।";

(ग) "परिव विभाग" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 2 के पश्चात्,  
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :-

"3. भारत सरकार (कार्य-आवंट)।"

जैव सिंह

राष्ट्रपति

[सं. 74/3/6/83 -मंत्रि.]

प्रेस कुमारी, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 1984

S.O. 36(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Sixtieth Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "DEPARTMENT OF ENVIRONMENT",—

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"1. Environment and Ecology, including environment in coastal waters, in mangroves and coral reefs but excluding marine environment on the high seas.;"

(ii) after entry 8, the following entry shall be inserted, namely :—

"9. Biosphere Reserve Programme".;

(b) under the heading "DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT", after entry 2, the following entry shall be inserted, namely :—

"2A. Marine environment on the high seas.;"

(c) under the heading "DEPARTMENT OF SPORTS", after entry 2, the following entry shall be inserted, namely :—

"3. Sports Authority of India.;"

ZAIL SINGH  
PRESIDENT

[No. 74/3/6/83-Cab.]

PREM KUMAR, Addl. Secy.